न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निग० 2563-I/16

1— राजकुमारी वेवा लाखनसिंह ठाकुर,

2— उदय सिंह पुत्र लाखनसिंह ठाकुर,

[redacted] महेन्द्र सिंह पुत्र लाखनसिंह ठाकुर,

[redacted] जसवंत सिंह लाखनसिंह ठाकुर,

5— गोविंद सिंह लाखनसिंह ठाकुर,

6— देवेन्द्र सिंह लाखनसिंह ठाकुर,

7- देवराज सिंह s/o लाखन सिंह

सभी निबासी ग्राम बम्होरी, तहसील एवं जिला सागर म0 प्र0

..................आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार सागर .... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, सागर, जिला सागर द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ6/2012—13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15/07/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका कमांक एक द्वारा तहसीलदार महोदय सागर के समक्ष इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था कि ग्राम बम्होरी रेंगुंवा स्थित भूमि खसरा नंबर 334, 340, 355, 356 रकवा कमशः 0.590 है0, 0.120 है0, 0.230 है0, 0.233 है0 कुल रकवा 1.173 हैक्टेयर जो कि बंदोवस्त पूर्व खसरा नंबर 132/4 रकवा 0.765 है 0, 143/4 रकवा 0.410 है0, कुल 1.166 हैक्टेयर था। उपरोक्त भूमि तातरपुर बारी बेबा बब्बू नामक महिला, जो आवेदिका के पति की सगी चाची थी

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 253/I/2016 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **राजकुमारी व अन्य वनाम शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.8.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर, जिला सागर (जिसे आगे अधिनस्थ न्यायालय कहा जावेगा) द्वारा प्रकरण कमांक 55/अ6/2012–13 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15/07/2016 से परिवेदित होकर कर प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका कमांक एक द्वारा तहसीलदार सागर के समक्ष इस आशय का एक आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था कि ग्राम बम्होरी रेंगुंवा स्थित भूमि खसरा नंबर 334, 340, 355, 356 रकवा कमशः 0.590 है0 , 0.120 है0 , 0. 230 है0 , 0.233 है0 कुल रकवा 1.173 हैक्टेयर जो कि बंदोवस्त पूर्व खसरा नंबर 132/4 रकवा 0.765 है 0 , 143/4 रकवा 0.410 है0 , कुल 1.166 हैक्टेयर था, जो भूमि तातारपुर बारी बेबा बब्बू नामक महिला, जो आवेदिका क0 एक के पति की सगी चाची थी, के नाम पर है, जो आवेदिका के पास रहती थी, लाऔलाद थी, उसकी सेबा खुशामद आवेदिका एवं उसके पति लाखन द्वारा ही की गई थी। दिन तेरहबीं भी आवेदिका एवं उसके पति द्वारा ही की गई थी। तातारपुर बारी द्वारा आवेदिका के पति लाखनसिंह के नाम पर एक बसीयतनामा दिनांक 09/11/2006 को लेख कराकर उसे रजिस्टर्ड कराया था। बसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 04/01/2009 को हो चुकी है, उसके उपरांत आवेदकगण के पिता/बसीयतग्रहीता लाखन की मृत्यु 09/06/2012 को तातारपुर बारी की मृत्यु के उपरांत हो चुकी है। आवेदिका बसीयत ग्रहीता की पत्नि है, अतः वादभूमि आवेदिका के नाम पर दर्ज की जावे। जिसे तहसीलदार द्वारा अमान्य करके आवेदनपत्र निरस्त कर दिया कि आवेदिका द्वारा स्वयं के कथन लेख नहीं कराये तथा प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन है। । जिससे ही दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदिका के बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, उनके द्वारा अपनी निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण	

प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, रजिस्टर्ड बसीयतनामा की छाया प्रतिलिपि तथा वादभूमि का तातारपुर बारी के नाम का खसरा पांचसाला की प्रतिलिपि सूचीबद्व करके प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा रहा है।

4— प्रकरण में यह तथ्य निर्बिवाद है कि भूमि स्वामी तातारपुर बारी के नाम पर उपरोक्त वाद भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। जिसके द्वारा लाखनसिंह के पक्ष में अपने नाम की उपरोक्त भूमि का बसीयतनामा दिनांक 09/11/2006 को लेख कराकर रजिस्टर्ड कराया गया था। बसीयतनामा को बसीयत साक्षी राजेन्द्र पटेल एवं बसीयत लेखक इंद्रजीत दुबे द्वारा अपने कथनों से प्रमाणित किया है। आवेदिका कमांक 01 राजकुमारी द्वारा बसीयतनामा के समर्थन में अपने निर्विवाद कथन लेख कराये हैं। इश्तहार जारी करने पर कोई आक्षेप भी नहीं आया है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10/08/2014 को अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उसके द्वारा तातारपुर बारी के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज होने तथा तथा लाखनसिंह का सिजरा भी प्रस्तुत किया है। जिसमें लाखनसिंह के बारिस सभी आवेदकगण हैं।

5— बसीयतग्रहीता लाखनसिंह के अन्य बारिसों द्वारा एक शपथपत्र इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका कमांक एक उनकी मां है, यदि वाद भूमि उसके नाम पर दर्ज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उनकी पूर्ण सहमति है। चूंकि आवेदिका कमांक एक लाखनसिंह की पत्नि है तथा अन्य आवेदकगण उसके बैद्य वासरिस हैं, जिन्हें आवेदिका कमांक एक का नाम दर्ज होने पर कोई आपत्ति नहीं है। बसीयत को किसी के द्वारा अक्षेपित भी नहीं किया गया है वह निर्बिबादित है, ऐसी स्थिति में आवेदिका का नाम दर्ज किया जाना उचित एवं विधि संगत है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 15/07/2016 निरस्त किया जाता है, अधिनस्थ न्यायलाय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की वाद भूमि स्थित ग्राम बम्होरी रेंगुवा, खसरा नंबर 334, 340, 355, 356 कुल रकवा 1.173 हैक्टेयर पर आवेदिका कमांक एक राजकुमारी का नाम तातारपुरबारी बेवा बब्बू के स्थान पर दर्ज किया जाबे। पक्षकार सूचित हों , प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य